



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 ज्येष्ठ, 1945 (श०)

संख्या - 360 राँची, शुक्रवार,

16 जून, 2023 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

15 जून, 2023

संचिका संख्या-04/स0भू0 राँची (BOI)-99/2018-2073/रा0--

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो0-डोरण्डा, राँची।

विषय:-

मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-**31.05.2023** में मद संख्या-**20** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में देवघर राँची जिलान्तर्गत अंचल-नगड़ी, मौजा-मुड़मा, थाना सं0-**229** के खाता संख्या-**01, 119, 153** एवं **136** के विभिन्न प्लॉटों में अंतर्निहित कुल रकबा-**1.57** एकड़ एच0ई0सी0 से राज्य सरकार को प्राप्त भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-I) का राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-**4306/रा0**, दिनांक-**24.10.14** के आधार पर निर्धारित दर के अनुसार संगणित सलामी की राशि **रू0-2,76,46,444/-**(दो करोड़ छेहत्तर लाख छेयालिस हजार चार सौ चौवालिस) रुपये

मात्र, सलामी का 5 प्रतिशत वार्षिक व्यवसायिक लगान का 25 गुणा राशि **3,45,58,055/-** (तीन करोड़ पैतालिस लाख अनठावन हजार पचपन) रुपये मात्र एवं लगान का 145% सेस का 25 गुणा पूंजीकृत मूल्य की राशि **5,01,09,180/-** रु0 (पाँच करोड़ एक लाख नौ हजार एक सौ अस्सी) रुपये मात्र अर्थात् कुल देय राशि **11,23,13,679/-** (ग्यारह करोड़ तेईस लाख तेरह हजार छः सौ उन्नासी) रुपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक II) की अदायगी पर बैंक ऑफ इण्डिया (BOI) के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु बैंक ऑफ इण्डिया को सशुल्क स्थायी भूहस्तांतरण करने के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

- i. जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा 12 माह में कार्य प्रारंभ नहीं करने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी।
- ii. उपायुक्त, राँची प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे।
- iii. राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4306/रा0, दिनांक-24.10.2014 के द्वारा सरकारी भूमि के मूल्य का निर्धारित दर/सलामी से संबंधित कंडिका-2 (I) में विनिर्दिष्ट तीन मापदण्डों के अनुसार ही भूमि के मूल्य की गणना कर उसके भुगतान अदायगी पर भूमिहस्तांतरण की कार्रवाई की जायेगी। अगर परियोजना से संबंधित दर/सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी।
- iv. प्रसंगाधीन मामले में एकरारनामा का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा एवं निबंधन पर निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क धार्य होगा। एकरारनामा के निबंधन के समय अधियाची विभाग से उक्त राशि प्राप्त कर ली जायेगी।
- v. राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4306/रा0, दिनांक-24.10.2014 की कंडिका 4(g) के आलोक में प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर ही संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि का स्थायी हस्तांतरण की जायेगी, परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। उपायुक्त, राँची यह भी

सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची निकाय द्वारा भुगतये होगा। इकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा।

- vi. यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अधियाची संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो भूमि हस्तांतरण हेतु दी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा। अधियाची संस्था द्वारा राशि जमा किये जाने के बावजूद भी यदि जिला प्रशासन द्वारा अधियाची संस्था को भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक जायेगी। /कार्रवाई की
- vii. भूमि का उपयोग प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु किया जायेगा।
- viii. अन्य सभी शर्तें राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-4306/रा0, दिनांक-24.10.14, इस्टेट मैनुअल में निहित प्रावधानों एवं समयसमय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप - ागू होगी। ल
- ix. इस हस्तांतरण से प्राप्त राशि बजट शीर्ष 0029 भू-राजस्व के सुसंगत ईकाई के अंतर्गत जमा होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार मिश्रा.

सरकार के अपर सचिव।

अनुलग्नक-I

संचिका सं0-04/स0भू0 राँची (BOI)-99/2018-207अरा0--

दिनांक-15.06.2023

प्रस्तावित भूमि की विवरणी :-

क्र0 सं0	अभिलेख संख्या	जिला	अंचल	मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा (एकड़ में)	भूमि का किस्म
01.	02/2022-23	राँची	नगड़ी	मुड़मा	229	1	221	1.57	एच0ई0सी0 से राज्य सरकार को प्राप्त भूमि
						1	222		
						1	223		
						119	226		
						153	227		
						136	228		
						136	232		
						1	233		
						1	234		
						1	238		
						1	239		
						1	240		
सकल कुल योग								1.57	

अनुलग्नक-II

मूल्य गणना विवरणी :-

क्र0 सं0	अभिलेख संख्या	रकबा (एकड़ में)	निबंधित दर प्रति एकड़ (रूपये में)	सलामी (रूपये में)	सलामी का 5% व्यवसायिक लगान का पूंजीकृत मूल्य (रूपये में)	लगान का 145% सेस का पूंजीकृत मूल्य(रूपये में)	कुल देय राशि (5+6+7)(रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	02/2022-23	1.57	1,76,09,200	2,76,46,444	3,45,58,055	5,01,09,180	11,23,13,679
	कुल	1.57		2,76,46,444	3,45,58,055	5,01,09,180	11,23,13,679

अर्थात ग्यारह करोड़ तेईस लाख तेरह हजार छः सौ उन्नासी रूपये मात्र ।

सरकार के अपर सचिव ।
